क्रम-संख्या—17

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

**भाग—2, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

**लखनऊ, सोमवार, 6 फरवरी, 2023**

**माघ 17, 1944 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग—1**

————

संख्या 23 / 79-वि-1—2023-2-क-1-2023
लखनऊ, 6 फरवरी, 2023

————

अधिसूचना

**विविध**

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2023) जिससे आबकारी अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) (क—2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उक्त खण्ड के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

(क) ''बी—हैवी शीरे'' का तात्पर्य बी—मासेक्यूइट के परिशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त शीरे से है जिसमें पूर्ववर्ती तीन चीनी मौसमों की उसी अवधि के दौरान वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में समरूप प्रक्रिया से प्राप्त औसत शुद्धता के सदृश शुद्धता निहित है;

(क—1) ''ब्रिक्स'' का तात्पर्य ब्रिक्स डेंसिटोमेट्रिक स्केल पर व्यक्त विलयन के घनत्व से और इसमें घुलित ठोस पदार्थ के प्रतिशत को प्रकट किये जाने से है।''

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

(घ) ''शीरा'' का तात्पर्य गन्ना के रस या चीनी चाशनी से चीनी या खांडसारी चीनी के विनिर्माण के दौरान उपोत्पाद के रूप में उत्पादित भारी, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव में चीनी अन्तर्विष्ट हो और इसमें राब या गुड़ से उत्क्रम प्रक्रिया के माध्यम से चीनी विनिर्माण के दौरान प्राप्त उपोत्पाद भी सम्मिलित है;''

(ग) खण्ड (घ—1) निकाल दिया जायेगा;

(घ) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(ङ) ''अध्यासी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के मामलों मे अंतिम नियंत्रण हो और इसमें चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई का प्रबंध अभिकर्ता सम्मिलित है।''

(ङ) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, आर्थात् :—

''(ज—1) ''खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' का तात्पर्य किसी आरक्षित क्षेत्र में खांडसारी चीनी के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुयी या साधारणतया लगी हुयी किसी इकाई से है और जो किसी यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित किसी क्षैतिज कोल्हू की सहायता से उत्पादित गन्ना रस की उठायी—धरायी करने योग्य हो;''

(च) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(झ) ''आपूर्ति'' का तात्पर्य किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी द्वारा अपनी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को शीरा प्रदान करने से है;''

(छ) खण्ड (ञ) निकाल दिया जायेगा;

(ज) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

''(ट) ''गन्ना रस'' का तात्पर्य किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में सल्फाइटीकरण या शोधन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्राथमिक रस, द्वितीयक रस, मिश्रित रस तथा निर्मल रस से है;

(ठ) ''चीनी सिरप'' का तात्पर्य गन्ना के सांद्रित रस से है जिसमें कुल घुला ठोस अंश 50 डिग्री से अन्यून हो, जैसा कि ब्रिक्स द्वारा उपदर्शित हो। 50 डिग्री ब्रिक्स के नीचे उसे किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में ब्रिक्स प्रतिशत द्वारा उपदर्शित सांद्रता पर आधारित गाढ़ा रस या रस के रूप में माना जा सकता है;''

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 7 में शब्द ''कारखाना'' जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 7 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 8 में,— धारा 8 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(1) नियंत्रक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आदेश द्वारा किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, विहित रीति से विक्रय करने अथवा आपूर्ति करने की, अपेक्षा कर सकता है, और अध्यासी को किसी संविदा के होते हुए भी उक्त आदेश का अनुपालन करना होगा।''

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

''(4) राज्य सरकार, समय—समय पर, शीरे के भंडारण, परिरक्षण, वितरण, आपूर्ति, विक्रय, परिवहन, ट्रैकिंग और निगरानी को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाय और ऐसी दरों पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाय, किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई से किसी प्रकार के शीरा का विक्रय या उसकी आपूर्ति, या तो अपनी निजी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को किये जाने पर, विनियामक शुल्क अधिरोपित कर सकती है और ऐसा विनियामक शुल्क चीनी कारखाना अथवा खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से वसूल किया जाएगा।''

**स्पष्टीकरण** :— इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समस्त चीनी कारखाने और साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयाँ, आबद्ध इकाइयों की शीरे की आबद्ध खपत पर विचार किये बिना, समान रूप से विनियमन के अध्यधीन होंगी।

7—मूल अधिनियम की धारा 10—क में शब्द ''कारखाना'', के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे। धारा 10—क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 17 में शब्द ''कारखाना'', के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे तथा शब्द ''अन्तरित'' के स्थान पर शब्द ''विक्रीत'' रख दिया जायेगा। धारा 17 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 18 में,— धारा 18 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द ''कारखानों'' के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

10—मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द ''कारखानों'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ'' बढ़ा दिये जायेंगे और शब्द ''प्रशासनिक प्रभार'' के स्थान पर शब्द ''विनियामक शुल्क'' रख दिये जायेंगे। धारा 22 का संशोधन

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 23(2)/LXXIX-V-1–2023-2-ka-1-2023

*Dated Lucknow, February* 6, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 1 of 2023) promulgated by the Governor. Aabkari Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 1 OF 2023)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy fourth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

*further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam* 1964.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazatte*.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act"),–

(a) clause (a) shall be renumbered as (a-2) and before the said clause so renumbered the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(a) "B-Heavy molasses" means the molasses obtained as a result of curing of B-massecuite and having purity comparable with the average purity as obtained during the same period of previous three sugar seasons with the similar process in a vacuum pan sugar factory;

(a-1) "Brix" means the density of solution expressed on brix densitometric scale and taken to represent the percentage of dissolved solid matter in it;"

(b) for clause (d), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(d) "Molasses" means a heavy, dark coloured, viscous liquid produced as a by-product during the manufacture of sugar or khandsari sugar from the juice of sugarcane or sugar syrup when the liquid as such or in any form of admixture contains sugar and it also includes the by-product obtained during the manufacture of sugar through reverse process from rab or jaggery ;"

**(c)** clause (d-1) shall be *omitted*;

**(d)** for clause (e), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(e) "Occupier" means the person who has ultimate control over the affairs of the sugar factory or Khandsari Sugar Manufacturing Unit and includes a managing agent of the factory or Khandsari Sugar Manufacturing Unit;"

**(e)** after clause (h), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(h-1) "Khandsari Sugar Manufacturing Unit" means a unit engaged or ordinarily engaged in the manufacture or production of or khandsari sugar in a reserved area, and which is capable of handling sugarcane juice produced with the aid of a horizontal crusher driven by any mechanical power;"

**(f)** for clause (i), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(i) "Supply" means to provide molasses by an occupier of a sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit to its own unit or to any other unit such as distillery or any molasses based industry;"

**(g)** clause (j) shall be *omitted*;

**(h)** after clause (j), the following clauses shall be *inserted,* namely:-

"(k) "Sugarcane juice" means primary juice, secondary juice, mixed juice and clear juice as obtained by sulphitation or defecation process in a vacuum pan sugar factory;

(l) "Sugar syrup" means concentrated juice of sugarcane having total dissolved solid content not less than 50 as indicated by brix. Below 50 brix, it may be treated as thick juice or juice depending upon the concentration as indicated by brix percentage in a vacuum pan sugar factory; "

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 7

5. In section 7 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 8

6. In section 8 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(1) The Controller may, with the prior approval of the State Government, by order require the occupier of any sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit to sell or supply in the prescribed manner such quantity of molasses to such person, as may be specified in the order, and the occupier shall, notwithstanding any contract, comply with the order."

(b) in clause (b) of sub-section (2), after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

(c) for sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(4) The State Government may, from time to time, in such manner as may be prescribed and at such rates as may be determined by the State Government by notification in the *Gazette*, impose regulatory fee on the sale or supply of any type of molasses from any sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit either to its own unit or to any other unit such as distillery or any molasses based industry, in order to regulate the storage, preservation, distribution, supply, sale, transport, tracking and surveillance of such molasses, and such regulatory fee shall be recovered from the Occupier of the sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit.

**Explanation**—For the purpose of this Act, all sugar factories as well as khandsari sugar manufacturing units, irrespective of captive consumption of molasses of captive units, shall be equally subjected to regulation."

Amendment of section 10A

7. In section 10A of the principal Act, after the word "factory", the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted*.

Amendment of section 17

8. In section 17 of the principal Act, after the word "factory", the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted* and for the word "transferred", the word "sold " shall be *substituted*.

Amendment of section 18

9. In section 18 of the principal Act,—

(a) in the marginal heading after the word "factories", the words "or khandsari sugar manufacturing units" shall be *inserted*;

(b) after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 22

10. In section 22 of the principal Act, after the word "factories", wherever occurring, the words "or khandsari sugar manufacturing units" shall be *inserted* and for the words "administrative charges", the words "regulatory fees" shall be *substituted.*

ANANDIBEN PATEL,
*Governor,*
*Uttar Pradesh.*

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1193 राजपत्र–2023–(1941)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 106 सा0 विधायी–2023–(1942)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1193 RPH 2023 (Adhyadesh (Sheera Niyantran) data 4e